जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

क्रमांक / 2025–26 / 35 दिनांक :– 06/02/2025

वाहन किराये पर लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय हेतु 01 बोलेरो वाहन (वातानुकूलित) किराये पर लेने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी व्यक्तियों / वाहन स्वामीयों / ठेकेदार / फर्म से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर विभागीय वेबसाईट **https://pali.dcourts.gov.in/hi/** एवं राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर देखी जा सकती हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 13.02.2025 को दोपहर 12.30 बजे तक होगी।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

क्रमांक / 2025–26 / 747–749 दिनांकः– 06/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, पाली को जिला न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

क्रमांक/2025–26/35 दिनांक :– 06/02/2025

वाहन किराये पर लिये जाने की सूचना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली कार्यालय के लिए टैक्सी नम्बर 1 बोलेरो वाहन (वातानुकूलित) किराये पर लिए जाने हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/ठेकेदार/फर्म से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	किराये पर लिए जाने वाले वाहन का विवरण	क्षेत्राधिकार	अनुमानित लागत	अन्य विवरण
1.	01, बोलेरो (वातानुकूलित)	सम्पूर्ण पाली न्यायक्षेत्र	1X13(माह) X 34,100/– (मासिक किराया प्रत्येक वाहन)	

पूर्ण रूप से भरे हुए सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 13.02.2025 को दोपहर 12.30 बजे तक कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। विस्तृत सूचना एवं दस्तावेजात विभागीय वेबसाईट https://pali.dcourts.gov.in/hi/ एवं राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

जिला न्यायालय परिसर, पाली

किराये के वाहन हेतु प्रस्ताव पत्र

1. प्रस्तावक का नाम व पूरा पता :– ....
....
....
....
2. दूरभाष नंबर :– ....
3. सन्दर्भ :– प्रस्ताव मांगे जाने की सूचना संख्या :–.......................... दिनांक ....
4. किराये के वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु विभाग की समस्त निर्बंधनों एवं शर्तों की पालना करने में मैं/हम सहमत हैं तथा सभी शर्तों एवं निर्बन्धनों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा एक बोलेरो वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु इस प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ –A में स्थान व वाहन का विवरण अंकित कर दिया गया हैं।
6. इस प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु बाध्य हैं।
7. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन कमांक :– ....
8. PAN NO. :– ....
9. पिछले 3 वर्षों के कार्य का विवरण :– ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

प्रस्तावक के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व फोन नंबर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली
न्यायालय परिसर, पाली
शर्ते एवं शरायतें

1. विभाग को कुल एक वाहन (बोलेरो वातनुकुलित 7 सीटर) टेक्सी नम्बर किराये पर लिये जाने हैं। वाहन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करवाना होगा, जिनका क्षेत्राधिकार संबंधित संपूर्ण जिला होगा।
2. किराये के वाहन दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि में उपलब्ध करवाये जाने होंगे, परन्तु परिस्थिति व सहमति से इस अवधि की संतोषप्रद सेवाएं रहने पर अनुबंध अवधि को आगे बढाया जा सकता हैं।
3. प्रस्तावक एक या अधिक वाहनों का किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु अपने प्रस्ताव दे सकता हैं।
4. प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति स्वामी/फर्म/ट्रेवल एजेंसी द्वारा दिए जा सकते हैं।
5. उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
6. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि का 2 वर्ष तक बढाया जा सकेगा।
7. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ – सुथरा रखेगा।
8. वाहन चालक वैध वाणिज्य वाहन (Commercial Vehicle) चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक हैं।
9. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर हैं, उपलब्ध करवानी होगी।
10. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खडा किया जावेगा (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
11. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्तव्य स्थान (Duty Point) से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जावेगी। लॉग बुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
12. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता हैं तो शस्ति रू. 2000/– (दो हजार रूपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता हैं तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।
13. वाहन की मरम्मत, पेट्रोल/डीजल/ऑयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।
14. वाहन मालिक को वाहन का किराया वित्त विभाग के परिपत्रों (यथासंशोधित) की शर्तो के अनुसार निम्न दरों पर किया जावेगा :–
    I. जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय हेतु एक वाहन हेतु 2000 किलोमीटर के लिए रू. 34100/– प्रतिमास (जी.एस.टी. अतिरिक्त यदि लागू हैं)
    II. प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की दर परिपत्रों के अनुसार

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

15. यदि वित्त विभाग उक्त दरों में भविष्य में या अनुबंध अवधि में कोई संशोधन किया जाता हैं तो संशोधित दरों से भुगतान किया जावेगा।

16. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर का पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेगे।

17. सभी विधिक कटौतियां जैसे आयकर (टी.डी.एस.), सेवाकर इत्यादि, भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जावेगा।

18. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कहीं भी उपयोग में लिया जा सकता हैं, परन्तु यदि किसी जिले विशेष का प्रस्ताव दिया गया हैं तो वाहन को उसी जिले में अनुबंधित करने पर प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में चालक को प्रति रात्रि 300/– भुगतान की जावेगी।

19. सफल प्रस्तावक (वाहन प्रदाता) को 500/– के Non-Judicial Stamp Paper पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा।

20. चूंकि यह निविदा प्रस्ताव नहीं हैं तथा वाहन किराये पर लिए जाने हेतु पैनल तैयार किया जाना हैं, अतः प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुए दस्तावेजों एवं कार्य अनुभव एवं अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने का अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का होगा।

21. इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि दिनांक 13.02.2025 को दोपहर 12.30 बजे तक निम्न दस्तावेजों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जहॉं वाहन अनुबंधित होना हैं) कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा :–

    I. वाहन किराये पर लिये जाने की शर्तें, जिसे स्वीकार करने के साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील के करने होंगे।
    II. किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनो का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एवं पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
    III. वाहन चालकों के नाम व उनके वैध अनुज्ञा पत्रों की प्रमाणित प्रतियां
    IV. पिछले 3 वर्षों का राजकीय कार्यालयों/विभागों में वाहन किराये पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
    V. प्रस्तावके के जी.एस.टी. एवं PAN की प्रमाणित फोटो प्रतियां।
    VI. जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण पत्र। (Tax Clearance Certificate)

22. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पाली होगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

प्रस्तावक के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व फोन नंबर